प्रेषक,

आयुक्त,
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0,
सेक्टर–सी, अलीगंज, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त सहायक आयुक्त (औषधि)/औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय)
   खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन,
   कार्यालय मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त औषधि निरीक्षक,
   खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन,
   कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश

संख्या–ड्रग/7526/3526-27 लखनऊ दिनांक 12/11/2018

विषयः **मा0 राज्य मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 24.09.2018 को प्रदेश के विभिन्न केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट संगठन के पदाधिकारियों के साथ सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि मा0 राज्य मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 24.09.2018 को प्रदेश के विभिन्न केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गयी थी। उक्त बैठक में औषधि विक्रेताओं को ऑन–लाईन औषधि लाइसेंस सिस्टम में आ रही समस्याओं पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में ऑन–लाईन औषधि लाइसेंस सिस्टम का सरलीकरण करते हुए ऑफलाईन लाइसेंस की सूचना संकलित करने हेतु समस्त ऑफलाईन लाइसेंसों को पोर्टल पर फीड करने के लिए सम्बन्धित प्रतिष्ठान की भण्डारण व्यवस्था एवं किरायानामा अपलोड करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।

उक्त बैठक की कार्यवृत्त अनुपालनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(डी0के0 तिवारी) 12/11
सहायक आयुक्त (औषधि)
मुख्यालय

संख्या–2539 / अट्ठासी–2018

प्रेषक

प्रभात कुमार,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन,
उ0प्र0 लखनऊ।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अनुभाग   लखनऊ : दिनांक 01 नवम्बर, 2018

विषयः–मा0 राज्य मंत्री जी अध्यक्षता में दिनांक 24.09.2018 को प्रदेश के विभिन्न केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट संगठन के पदाधिकारियों के साथ सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–ड्रग/7526/3333, दिनांक 24.10.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में उक्त सन्दर्भित आपके पत्र दिनांक 24.10.2018 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया कार्यवृत्त निर्गत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(प्रभात कुमार)
अनु सचिव।

934
FSDA/1155
02/11/18

Sri D.K. Tiwari

02/11/18

Drug Go j

पत्रांक–ड्रग/7526/ लखनऊः दिनांक

मा0 राज्य मंत्री जी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की अध्यक्षता में प्रदेश के विभिन्न केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट संगठन के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक दिनांक 24.09.2018 का कार्यवृत्त

****

उपस्थितिः–

1. श्री शकील अहमद, अपर आयुक्त (प्रवर्तन), खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन।
2. श्री ए0के0 जैन, औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी, उ0प्र0।
3. श्री एस0के0 पन्त, सहायक आयुक्त (औषधि) मुख्यालय।
4. श्री डी0के0 तिवारी, सहायक आयुक्त (औषधि) मुख्यालय।
5. श्री रमेश चन्द्र महेश्वरी, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ केमिस्ट एसोसिएशन, वाराणसी।
6. श्री जयदीप गुप्ता, अध्यक्ष, रामपुर केमिस्ट एसोसिएशन।
7. श्री राजदेव त्यागी, अध्यक्ष, गाजियाबाद केमिस्ट एसोसिएशन।
8. श्री अमित बंसल, उपाध्यक्ष, गाजियाबाद केमिस्ट एसोसिएशन।
9. श्री अखिल रस्तोगी, अध्यक्ष, बदायूँ औषधि विक्रेता संघ।
10. श्री हेमन्त सारास्वत, कोषाध्यक्ष, बदायूँ औषधि विक्रेता संघ।
11. श्री नूर मोहम्मद, सचिव, रामपुर केमिस्ट एसोसिएशन।
12. श्री देवेश निगम, निगम मेडिकल एजेन्सी, जौनपुर।
13. श्री नुरूल्ला खान, राजीव केमिस्ट, मिर्जापुर।
14. श्री संजय मिश्रा, त्रिवेणी फार्मास्युटिकल्स।
15. श्री संदीप कुमार, संदीप मेडिकल हॉल, अमरोहा।
16. श्री सुदीप दुबे, कोषाध्यक्ष, लखनऊ केमिस्ट एसोसिएशन।
17. श्री अनिल जयसिंह, जनरल सेक्रेटरी, लखनऊ केमिस्ट एसोसिएशन।
18. श्री रचित रस्तोगी, पी0आर0ओ0, लखनऊ केमिस्ट एसोसिएशन।
19. श्री सुरेश कुमार, पी0आर0ओ0, सी0डी0एफ0, उत्तर प्रदेश।
20. श्री विकास मित्तल, गाजियाबाद।
21. श्री मोहित गोयल, गाजियाबाद।
22. श्री गिरिराज रस्तोगी, पैट्रन, सी0डी0एफ0, उत्तर प्रदेश।
23. श्री सुरेश गुप्ता, जनरल सिक्रेटरी, सी0डी0एफ0, उत्तर प्रदेश।
24. श्री दिवाकर सिंह, प्रेसीडेन्ट, सी0डी0एफ0, उत्तर प्रदेश।

सर्वप्रथम औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी, उ0प्र0 द्वारा बैठक में आये सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया गया तथा मा0 राज्य मंत्री जी द्वारा सभी से परिचय कराया गया। मा0 राज्य मंत्री जी द्वारा अपेक्षा की गयी कि विभागीय वेबसाईट एवं कार्य प्रणाली में किये गये परिवर्तन की जानकारी सभी सम्बन्धित को समय–समय पर उपलब्ध कराया जाय तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मंशानुरूप व्यापारियों को अधिकतम सुविधाएं प्रदान की जाय।

1. केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट फेडरेशन के प्रतिनिधियों द्वारा निम्नलिखित समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया–

- लाइसेंस रिटेन्शन शुल्क जमा करने के लिए ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करने हेतु औषधि विक्रेताओं को बाध्य न किया जाय तथा इसे अनुज्ञप्तिधारकों को ऑफलाइन जमा करने की अनुमति दी जाय।
- पुराने अनुज्ञप्तिधारकों को नये ऑनलाईन औषधि लाइसेंस सिस्टम में रजिस्ट्रेशन के लिए बाध्य न किया जाय।
- विभाग द्वारा संचालित पेपरलेस ऑनलाईन औषधि विक्रय लाइसेंस में कई त्रुटियां है तथा इसके माध्यम से कई अनावश्यक सूचना एवं अभिलेख लिये जा रहे है, जिसके कारण रजिस्ट्रेशन करने एवं लाइसेंस प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है।
- भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 27.10.2017 के द्वारा लाइसेंस नवीनीकरण की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है, फलस्वरूप फार्म–19 एवं फार्म–21सी अब लागू नहीं है। अतः किसी अनुज्ञप्तिधारक को केवल लाइसेंस रिटेन्शन शुल्क जमा करने की आवश्यकता है और उसे कोई भी सूचना/अभिलेख विभागीय कार्यालय में देने की आवश्यकता नहीं है। औषधि निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के समय यह देखा जा सकता है कि समुचित शुल्क जना है अथवा नहीं। अतः अनुज्ञप्तिधारकों को रिटेन्शन शुल्क जमा करने के लिए ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है।
- विभागीय ऑनलाईन लाइसेंस सिस्टम द्वारा लिये जा रहे सूचनाओं एवं अभिलेखों की एक सूची उपलब्ध करायी गयी और कहा गया कि इसमें वर्णित सूचनाओं/अभिलेखों को अनावश्यक रूप से लिया जा रहा है।
- विभाग द्वारा निरीक्षण फार्म–35 वर्तमान में बहुत जटिल है, जिसको सरल बनाया जाय।
- अनुभव के आधार पर पंजीकृत फार्मासिस्ट एवं क्वालीफाइड व्यक्ति को फुटकर औषधि विक्रय प्रतिष्ठान पर कार्य करने के लिए विभागीय वेबसाईट पर सुविधा प्रदान की जाय।
- विभागीय पोर्टल पर दवा विक्रेताओं को रजिस्ट्रेशन करने की अनिवार्यता समाप्त की जाय।
- लाइसेंस के लिए रेन्ट एग्रीमेन्ट, व्यवसायिक विद्युत कनेक्शन एवं आर्किटेक्ट द्वारा बनाये गये नक्शा की बाध्यता को समाप्त किया जाय।

2. मा0 राज्य मंत्री जी द्वारा अपेक्षा की गयी कि रिटेन्शन शुल्क जमा करने के लिए यदि ऑनलाईन औषधि लाइसेंस सिस्टम में सूचना भरा जाना अनिवार्य न हो तो अनुज्ञप्तिधारकों को सीधे रिटेन्शन शुल्क जमा करने की अनुमति प्रदान कर दी जाय। इस सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि कोई भी अनुज्ञप्तिधारक समुचित रिटेन्शन शुल्क सीधे ट्रेजरी में rajkosh.up.nic के माध्यम से ऑनलाईन जमा कर सकता है। विभागीय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 27.10.2017 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अनुज्ञप्तिधारक को लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के पूर्व लाइसेंस फीस के बराबर रिटेन्शन शुल्क जमा करने की दशा में लाइसेंस की वैधता स्वतः पॉच वर्ष के लिए बढ़ जाता है। निर्धारित अवधि में रिटेन्शन शुल्क जमा न करने पर लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के पश्चात् छः माह विलम्ब शुल्क के साथ रिटेन्शन शुल्क जमा किया जा सकता है। ससमय रिटेन्शन शुल्क जमा न करने पर लाइसेंस स्वतः निरस्त समझा जायेगा। उक्त व्यवस्था के अधीन यह आवश्यक है कि विभाग के पास अनुज्ञप्तिधारक द्वारा जमा किये गये रिटेन्शन शुल्क की जानकारी उपलब्ध हो, जिससे प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारक के वैधता की अद्यतन स्थिति की सूचना विभाग में

1.11.18

उपलब्ध हो। इसलिए सभी अनुज्ञप्तिधारकों को विभागीय पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी फीस की सूचना प्रदान किया जाना चाहिए।

3. ऑनलाईन औषधि लाइसेंस पोर्टल पर लिये जा रहे सूचना/अभिलेख के संबंध में विभागीय अधिकारी द्वारा पोर्टल खोलकर दिखाया गया, जिसमें यह पाया गया कि उपरोक्त सूची में अंकित कई सूचना/अभिलेख जैसे–चरित्र प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, लेबर पंजीयन नहीं लिये जा रहे हैं। मा0 राज्य मंत्री जी द्वारा अपेक्षा की गयी कि पुराने लाइसेंस के पंजीयन हेतु कम से कम सूचना/अभिलेख लिये जाय तथा जो सूचना पहले से चल रहे ऑनलाईन सिस्टम में उपलब्ध है उसे पुनः न लिया जाय। इस पर विभागीय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि यदि कोई अनुज्ञप्तिधारक पहले से ऑनलाईन सिस्टम में पंजीकृत है, उससे केवल वही सूचनाएं ली जा रही हैं जो डेटाबेस में उपलब्ध नहीं है। मा0 राज्य मंत्री जी द्वारा यह निर्देश दिया गया कि पुराने अनुज्ञप्तिधारकों से केवल आधारभूत सूचना/अभिलेख ही लिये जायें।
4. औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी, उ0प्र0 द्वारा अवगत कराया गया कि निरीक्षण फार्म में सरलीकरण करने के लिए शासन को पत्र प्रेषित किया गया है तथा शासन से अनुमोदन प्राप्त होते ही इसे लागू कर दिया जायेगा।
5. विभागीय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि अनुभव के आधार पर बने हुए फार्मासिस्ट एवं क्वालीफाईड पर्सन को औषधि विक्रय लाइसेंस पर कार्य करने की सुविधा विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।
6. विभागीय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका संख्या–5327 ऑफ 2017 में दिनांक 23.05.2017 को पारित आदेश के अनुपालन में फार्मासिस्टों एवं मेडिकल स्टोर स्वामियों को आधार से लिंक करने के लिए विभागीय ऑनलाईन लाइसेंस पोर्टल पर डेटा अपडेट कराया जा रहा है।
7. औषधि लाइसेंस निर्गत करने के लिए रजिस्टर्ड रेन्ट एग्रीमेन्ट की बाध्यता नहीं है तथा ऑफलाईन लाइसेंस की सूचना विभागीय वेबसाईट पर भरने के लिए रेन्ट एग्रीमेन्ट, भवन स्वामित्व एवं भण्डारण व्यवस्था की सूचना भरना आवश्यक नहीं है। विद्युत कनेक्शन के प्रकार (व्यवसायिक/घरेलू) भरने की व्यवस्था को वेबसाईट से हटाया जा रहा है। आर्कीटेक्ट द्वारा बनाया गया नक्शा अपलोड करना बाध्यता नहीं है, परन्तु औषधि अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए आवेदक से दुकान का नक्शा इस आशय का लिया जाता है कि प्रस्तावित प्रतिष्ठान की लोकेशन एवं उसका क्षेत्रफल स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(राहुल सिंह)
अपर आयुक्त (प्रशासन)

पृ0 सं0–ड्रग/7526/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ।
3. बैठक में उपस्थित समस्त पदाधिकारी/सदस्य, केमिस्ट एसोसिएशन, उ0प्र0।
4. गार्ड फाईल।

(राहुल सिंह)
अपर आयुक्त (प्रशासन)

Minutes dt. 24.09.2018

(सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव)
अनुभाग अधिकारी
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अनुभाग